## (8) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
## (Ministry for Development of Human Resources—MHRD)

केन्द्रीय शिक्षा नीतियों के निर्धारण का कार्य मानव संसाधन विकास मन्त्री का होता है। इस

Scanned by TapScanner

सम्बन्ध में वह समय-समय पर मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और स्वीकृत प्रस्तावों की कार्यात्मक व्यवस्था करता है। इन कार्यों में मंत्री की सहायता के लिए केन्द्रीय सचिवालय में **मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग** है, जो शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्थित है। संसदीय कार्यों में मंत्री की सहायता हेतु एक उपमंत्री तथा लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग-अलग सभा सचिव होते हैं। संसदीय व्यवस्था इस प्रकार से रहती है—

मानव संसाधन विकास मंत्री
|
सम्बन्धित उपमंत्री

सभासचिव (लोकसभा) | सभासचिव (राज्यसभा)

प्रशासनिक व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्री मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहायता के लिए एक शिक्षा सलाहकार तथा एक शिक्षा सचिव, दो या दो से अधिक संयुक्त शिक्षा सलाहकार तथा कई उपशिक्षा सलाहकार तथा उपशिक्षा सचिव होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कई विभाग हैं और प्रत्येक विभाग के कार्यों की देख-रेख का दायित्व एक उपसचिव पर होता है। इस मन्त्रालय का कार्य कई विभागों में बँटा होता है और प्रत्येक विभाग में एक अनुसचिव, एक अधीक्षक और एक या एक से अधिक अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय सहायक होते हैं। इस मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है—

मानव संसाधन विकास मंत्री
↓
शिक्षा सलाहकार या शिक्षा सचिव
↓

संयुक्त शिक्षा सलाहकार या संयुक्त शिक्षा सचिव

उपशिक्षा सलाहकार या उपशिक्षा सचिव (संस्था सात या अधिक)
↓
1 2 3 4 5 6
(प्रत्येक विभाग में)
अनुसचिव
↓
कार्यालय अधीक्षक
↓
सहायक अधीक्षक या अनुभाग अधीक्षक कार्यालय सहायक अधिकारी

## शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित परिषदें एवं बोर्ड
## (Various Councils and Boards Constituted by Education Ministry)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित बहुत-सी शिक्षा-परिषदें तथा बोर्ड आज भी कार्य कर रहे हैं। ये

Scanned by TapScanner

निकाय भारत सरकार को अपने शैक्षिक दायित्वों तथा कार्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से प्रमुख का उल्लेख संक्षेप में नीचे किया जा रहा है—

**शिक्षा का केन्द्रीय परामर्शदाता मण्डल (Central Advisory Board of Education-CABE)**—यह मण्डल सबसे प्राचीन संस्था है। शिक्षा सम्बन्धी मामलों में प्रान्तीय सरकारों को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। 1923 में इसको "Reternchment Committee" की सिफारिश के परिणामस्वरूप इसको 1925 में पुनः स्थापित किया गया और वह अब तक कार्य कर रहा है।

यह मण्डल मन्त्रालय की समस्त क्रियाओं की महत्त्वपूर्ण धुरी है, जिसके चारों ओर सम्पूर्ण कार्यक्रम फैला हुआ है। परामर्शदाता मण्डल के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है—

*"The Central Advisory Board of Education will play a pivotal role in reviewing educational development, determining the changes required to improve the system and monitoring implementation. It will function through appropriate committees and other machanism created to ensure contact with, coordinating among the various areas of Human Resource Development. The department of education at the centre and in the States will be strengthened through the involvement of professionals."* ***—National Policy on Education, 1986***

परामर्शदाता मण्डल का संगठन इस प्रकार किया गया है—

(1) केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री (चेयरमैन)

(2) भारत सरकार का शिक्षा-परामर्शदाता।

(3) भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य, जिसमें 4 स्त्रियाँ होती हैं।

(4) संसद के पाँच सदस्य, जिसमें 2 राज्यसभा तथा 3 लोकसभा के सदस्य।

(5) भारतीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों में अन्तर्विश्वविद्यालय द्वारा चुने हुए 2 सदस्य।

(6) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा-परिषद् के 2 सदस्य, जिनको स्वयं परिषद् मनोनीत करती है।

(7) प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो शिक्षा मंत्री होता है।

(8) मण्डल का सचिव, जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का शिक्षा सचिव ही इसके सचिव का कार्य करता है।

इस परामर्शदाता मण्डल से एक अन्य महत्त्वपूर्ण संस्था सम्बन्धित है, जो कि **शिक्षा के केन्द्रीय ब्यूरो** (Central Bureau of Education) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ब्यूरो अपना कार्य दो सचिवों द्वारा संचालित करता है। इनमें से एक सचिव बाह्य देशों से सम्बन्धित है और दूसरा आन्तरिक सूचनाओं से। यह भारत में शिक्षा की प्रगति के विषय में आधुनिकतम सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा बहुत-सी शैक्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

**इस मण्डल के दो प्रमुख कार्य हैं—**

(1) किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, परामर्श देना।

(2) भारत सरकार के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं एवं परामर्शों को एकत्रित करना तथा उनकी जाँच करके अपनी सिफारिशों के साथ सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना।

इस मण्डल की वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होती है। यह अपनी बैठक में देश की प्रमुख शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करता है तथा उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। यह मण्डल अपनी चार स्थायी समितियों—प्राथमिक तथा बेसिक शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति तथा उच्च शिक्षा समिति के द्वारा कार्य करता है।

Scanned by TapScanner

## अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
## (All India Council for Elementry Education)

इस परिषद् की स्थापना शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय द्वारा 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाना है। केन्द्रीय सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वाह इसी परिषद् के माध्यम से करती है तथा इस क्षेत्र में राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों का नेतृत्व व पथ-प्रदर्शन करती है। इस परिषद् का संगठन निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों से होता है—

(1) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि।
(2) केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता मण्डल।
(3) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्।
(4) प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सम्बन्धित शिक्षा मर्मज्ञ।
(5) शिक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि।
(6) पिछड़े वर्गों एवं लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा मर्मज्ञ।

**इस परिषद् के अधोलिखित कार्य निर्धारित किये गये हैं—**

(1) प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों को सलाह देना।
(2) प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासकीय, वित्तीय एवं शिक्षण शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य कराना तथा उनके निष्कर्षों को प्रकाशित करना।
(3) ऐसा साहित्य तैयार करना जिससे शिक्षा-विभागों तथा शिक्षकों को प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने में सहायता मिल सके।
(4) प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नति के लिए उपयुक्त प्रकार का निर्देशन एवं नेतृत्व प्रदान करना।
(5) प्रत्येक राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति एवं विस्तार के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना।

## अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
## (All India Council for Secondary Education)

इस परिषद् की स्थापना 1953 ई० में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह देश में माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक विशेष संस्था के रूप में कार्य करे। उस समय तक इस परिषद् के सदस्यों की संख्या 22 थी और उसका चेयरमैन भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता था। इस परिषद् को दो प्रकार के कार्य सौंपे गए—(i) परामर्श सम्बन्धी तथा (ii) कार्यपालिका सम्बन्धी। यह परिषद् माध्यमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में भारत सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देने वाली संस्था के साथ-साथ, स्वयं इस क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति के लिए पहला कदम उठाने की भी अधिकारिणी थी। इस परिषद् ने 1958 तक इसी रूप में कार्य किया। परन्तु 1958 ई० में इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया। उसके कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों को एक दूसरी संस्था "Directorate of Extension Programmes for Secondary Education" (DEPSE) को सौंप दिया गया और इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित रखा गया। इस पुनः संगठित माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कार्य अब केवल सलाह देने तक ही सीमित है। इस पुनर्संगठित परिषद् में निम्नलिखित निकायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

Scanned by TapScanner

(1) केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय

(2) केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय

(3) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद्

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

(5) अखिल भारतीय शिक्षा समुदायों का संघ।

(6) प्रशिक्षण महाविद्यालयों का समुदाय।

(7) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि—इनको भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

(8) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्।

Scanned by TapScanner